न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला बीकानेर

बइजलास – श्री प्रदीप कुमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 01/2013

1. माधोसिंह उर्फ भंवरसिंह
2. खेतसिंह
3. राजुसिह
4. खुमानसिंह
5. रतन कंवर

पि. गजसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम टोकला, तहसील कोलायत जिला बीकानेर

6. दान सिंह
7. रूपसिंह

पि. मघसिंह जाति राजपुत निवासी टोकला तहसील कोलायत जिला बीकानेर

.....अपीलाण्टान

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व) श्री कोलायत।
2. मृतक हजुकंवर पत्नि श्री कल्याणसिंह व पत्री पीरदानसिंह जाति राजपुत निवासी पारवा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
   - 2/1 बजरंगसिंह
   - 2/2 महावीरसिंह
   - 2/3 गुलाबकंवर
   - 2/4 पुष्पा कंवर
   - 2/5 मुन्ना कंवर

   पुत्रगण, पुत्रीगण स्व. हजुकंवर पत्नि कल्याणसिंह व पुत्री पीरदानसिंह जाति राजपुत निवासी पारवा तहसील नोखा जिला बीकानेर
3. राजुसिंह पुत्र चिमनसिंह जाति राजपुत निवासी नोडिया तहसील नोखा जिला बीकानेर।
4. भवानीसिंह
5. करणीसिंह

   पुत्रगण दूलेसिंह जाति राजपुत निवासी रजियासर हाऊस, नगर निगम के सामने, हनुमान हत्था, बीकानेर
6. भोजराजसिंह पुत्र मघसिंह जाति राजपुत निवासी टोकला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

.....रेस्पोडेण्टान

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1956
बनाराजगी नामान्तरण संख्या 187, बहुक्म रापंच ग्राम पंचायत भाणे का गांव जिसकी रूह से किया गया बमुराद मन्सुखी और करने स्वीकार अपील

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री रामचन्द्रसिंह भाटी, अभिभाषक अपीलाण्टान।
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद गहलोत, अभिभाषक रेस्पोडेण्टान संख्या 2/1, 2/2 व रेस्पोडेण्टान संख्या 5
3. श्री औमप्रकाश आचार्य, अभिभाषक, रेस्पोडेण्टान संख्या 4
4. श्री राजीव पाण्डे, अभिभाषक, रेस्पोडेण्टान संख्या 6
5. पेरोकारराज राज्य की और से
6. शेष प्रत्याषीगण स्वेच्छा से अनुपस्थित एक तरफा कार्यवाही है।

–: निर्णय :–

दिनांक :– 08.04.2021

1. यह अपील राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 75 के अधीन ग्राम पंचायत भाणे का गांव तहसील कोलायत के विरूद्ध दिनांक 15–11–1974 के इस न्यायालय में दिनांक 26–02–2013 को प्रस्तुत हुई है। जिसमें इन्तकाल संख्या 187 रेस्पोडेण्टान संख्या 2 हजुकंवर व उनकी दो बहिने सुरजकंवर व सुगनकंवर के नाम तस्दीक किया गया।
2. अपील में प्रकरण में सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम रोही टोकला तहसील कोलायत स्थित खसरा नम्बर 70 में तादादी 163.12 बीघा, 73 बीघा 49.09 बीघा इस प्रकार कुल तादादी 213 बीघा 1 बिस्वा बारानी भूमि पीरदानसिंह पुत्र मुलसिंह के निस्फ हिस्से व गजेसिंह, भोजराजसिंह, दानसिंह व रूपसिंह पुत्रगण मघसिंह कोम राजपुत निस्फ बहिब साकिन देह की सयुक्त खातेदारी मे दर्ज था। निस्फ हिस्से के हिस्सेदार पीरदानसिंह की मृत्यु हो गयी और उसकी मृत्यु के उपरान्त उसकी फोतगी का विरासतन इन्तकाल उसके वारिसान पुत्रीयां

Scanned with CamScanner

हजुकंवर प्रत्याशी संख्या 2 व सुरजकंवर व सुगनकंवर के नाम सरपंच ग्राम पंचायत भाणे का गांव ने दिनांक 15–11–1974 को स्वीकृत कर दिया। इसी आदेश से नाराज होकर अपीलार्थी ने अपील के द्वारा इस इन्तकाल को चुनौती दी है। अपील ज्ञापन मे अपीलार्थीगण ने यह अंकित किया है कि आदेश इन्तकाल और अपील गलत अनलिगल कानून के प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को बिना अपनाये खिलाफ कानून एवं मिसल रिकॉर्ड के खिलाफ पारित करने से अवैध है तथा काबिले निरस्तनीय है। अपील मीमों में यह भी अभिकथन किया कि प्रारंभ में यह भूमि खसरा नम्बर 70 तादादी 323 बीघा 7 बिस्वा व खसरा नम्बर 73 तादादी 102 बीघा 14 बिस्वा कुल तादादी 426 बीघा 1 बिस्वा अपीलांट्स 1 ता 5 के दादा व अपीलाण्ट संख्या 6 व 7 के रेस्पोडेण्टान संख्या 6 के पिता मघसिंह व रेस्पोडेण्टान संख्या 2 के पिता व रेस्पोडेण्टान 3 ता 5 के नाना पीरदानसिंह निस्फ खाते की थी। दिनांक 19–03–1968 को वर्तमान अपीलाण्टान माधोसिंह उर्फ भंवरसिंह ने खसरा नम्बर 70 तादादी 323.7 बीघा में से 53 बीघा 1 बिस्वा निस्फ हिस्से की पीरदानसिंह से जरिये पंजीकृत बयनामा क्रय कर कब्जा भूमि उसी समय प्राप्त कर लिया था। उसी दिनांक 19–03–1968 से ही वर्तमान अपीलाण्टान संख्या 1 ता 5 के पिता गजसिंह ने खसरा नम्बर 70 मे 53 बीघा 1 बिस्वा पीरदानसिंह से जरिये पंजीकृत बयनामा क्रय कर ली था कब्जा आराजी विक्रेता से प्राप्त कर लिया था। इसी दिनांक 19–03–1968 को इसी खसरे की 53 बीघा 1 बिस्वा अपीलांट संख्या 6 दानसिंह 53 बीघा 1 बिस्वा, अपीलांट संख्या 7 रूपसिंह ने पीरदानसिंह से जरिये पंजीकृत बयनामों से क्रय कर ली तथा कब्जा भूमि उसी समय प्राप्त कर लिया गया था। तभी से अपीलांट भूमि जैर बहस अपील पर काबिज होकर काश्त में चले आ रहे है| उक्त खरीद के आधार पर इन्तकाल हस्त समय क्रेताओं के पक्ष में स्वीकृत कर दिये गये । लेकिन इसका अमल राजस्व अभिलखों में अमल दरामद के कर्मचारियों ने नही किया जिसके कारण निस्फ हिस्सेदार पीरदानसिंह विक्रेता का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में चलता रहा। इसके चलते जब पीरदानसिंह का निधन हो गया तो उसकी फोतगी का इन्तकाल आपेक्षित उसकी तीन पुत्रीयों क्रमशः हजूकंवर, सुरजकंवर व सुगनकंवर के पक्ष में विरासतन के आधार पर सत्यापित कर दिया गया। जबकि निस्फ हिस्से के हिस्सेदार पीरदानसिंह ने अपने हिस्से की तमाम 213 बीघा 1 बिस्वा का अन्तरण मघसिंह के पुत्रों व पोत्रों के हित मे कर दिया गया तो कोई हिस्सा उसके नाम शेष नही रहा जिसमें न तो उसका कोई हक व हिस्सा शेष रहा जो उसकी मृत्यु के उपरान्त उसके वारिसों को नही मिल सकता था। लेकिन गलत प्रविष्टि की आड़ में क्रेतागण की जमीने पीरदानसिंह के वारिसान पुत्रियों के नाम दर्ज करनी ही मूल रूप से अवैध कार्यवाही थी। जिसे इस अपील के माध्यम से निरस्त करवाने के अधिकारी अपीलान्टस है। अपील प्रार्थना पत्र में यह भी अभिकथन किया गया है कि क्योकि आरोपित इन्तकाल तस्दीक करते समय अपीलांट को किसी प्रकार की सूचना व सुनवाई हेतु अवसर प्रदान नही किया गया और जैर इन्तकाल अपील एक पक्षीय तौर पर बाला बाला स्वीकृत कर दिया गया जिससे इसकी जानकारी अपीलांट को समय पर नही हो सकी। जब इसका इलम हुई तो प्रथम जानकारी की तिथि को अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की दफा 5 का प्रार्थना पत्र व उसके समर्थन में शपथ पत्र अपील मीमों के साथ पेश किया गया जिसका लाभ अपीलांटस को दिया जाकर अपील मियाद के भीतर प्रस्तुत होनी घोषित की जाकर विलम्ब को क्षमा किया जाने का निवेदन किया। अंत में अपीलान्टस की और से यह निवेदन किया गया कि आदेश मातहत अदालत नें सम्यक जॉच के अभाव में पारित करने से अवैध है तथा इसे निरस्त फरमाना जाकर भूमि जैर अपील इन्ताकल उनके नाम चढ़ायी जाने के आदेश तहसीलदार कोलायत करने प्रदान किये जावे।

3. इस अपील के प्रत्यर्थीगण मे सम्मन भिजवाये गये। प्रार्थीगण पता उचित माध्यम रजिस्ट्रर से भी तलबी की गयी। जो उन पर तामिल हो गयी जो बाद तामिल के अनुब एक पक्षीय कार्यवाही प्रार्थीगण 2/1, 2/2 व 5 की और से श्री राजेन्द्र प्रसाद गहलोत अभिभाषक 4 की और से औमप्रकाश आचार्य एवं 6 की और से श्री राजीव पाण्डे अधिवक्ता ने अपने अभिभाषक पत्र न्यायालय मं उपस्थित आकर दाखिल किये। दौराने अपील प्रत्यर्थी संख्या 2 हजूकंवर का निधन हो जाने से उनके वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये जाने के आदेश दिये गये चुकि पीरदानसिंह की पुत्रीयां सुरजकंवर व सुगनकंवर की अपील प्रस्तुत होने से पूर्व की मृत्यु हो चुकी थी। अतः उनके वारिसान को प्रार्थीगण के रूप में अपील में पक्षकार संयोजित किये गये है। रेस्पोडेण्टान संख्या 5 ने अपने अधिवक्ता के मार्फत दफा 5 मियाव अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जवाब व प्रार्थनमिक कानूनी आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 19–04–2015 को न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। इस प्राथमिक कानूनी आपत्ति प्रार्थना पत्र का कोई जवाब अपीलांट्स की और से नही दिया गया।

4. मैने बहस उभय पक्ष के लायक वाकुलाय की प्राथमिक आपत्ति व अन्तिम रूप से अपील पर सुनी गयी। अपीलांट्स की और से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई उसे रिकॉर्ड पर ली गयी।

5. योग्य अभिभाषक प्राथमिक आपीलान्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किया कि धारा 75 में प्रथम अपील प्रस्तुत करने की समय–सीमा के 30 दिवस का कानून मे प्रावधान है। प्रस्तुत अपील 44 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की गयी जो स्पष्ट रूप से असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत होने से मियाद बाहर है जो इस प्राथमिक आपत्ति पर ही खारिज की जानी चाहिये। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में जो स्ट्रोरी प्रस्तुत की गयी है। वह बिल्कुल ही विश्वसनीय नही है क्योकि जो कारण देरी के बताये जाते है वे संतोषजनक व अनियुक्त आधारों पर प्रस्तुत होने से ही Consider किये जा सकते है। अपने इस कथन के समभन मे उन्होने हमारा ध्याना 2011 आर. आर. डी. पृष्ठ संख्या 228 पर छपे निर्णय बालूराम व अन्य विरूद्ध घासीराम मे माननीय राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा सुनाये गये निर्णय दिनांक 01–11–2010, राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत सिंगल बेंच की याचिका संख्या 17953 जो वर्ष 2016 साथ में रिट याचिका संख्या 48859/2017 जो दिनांक 21–01–2019 जो दिनांक 21–01–2019 को स्टेट ऑफ राजस्थान विरूद्ध गुलाबन्द बनाम में प्रतिपादित किया गया कि 44 वर्ष का विलम्ब युक्ति प्रकार नही कहा जा सकता। आर. आर. डी. 2016 पृष्ठ 1 रामंजीलल पुत्र लोहते व अन्य विरूद्ध रामजीलाल पुत्र पतराम व अन्य, आर.एल.डब्ल्यू. 2016(5) राजस्व मण्डल की डबल बेंच के समक्ष प्रस्तुत अपील औमप्रकाश व अन्य विरूद्ध रामबाबू व अन्य आर. आर. डी. 2018(2) पृष्ठ संख्या 879 भेरू विरूद्ध प्रताबी की और दिलाते हुवे कहा कि इन नजीरों मे यही कहा कि इस आश्य के विलम्ब में युक्ति युक्त व संतोषप्रद कारणों को बताया जाना अनिवार्य है तभी दफा 5 का फायदा मिल सकता है। यौग्य अभिभाषक प्रत्यर्शी श्री राजेन्द्र गहलोत ने 2019 आर.आर.डी. प्रष्ठ 300 गंगादेवी विरूद्ध नारायणलाल व अन्य के हवाले से बताया कि नामान्तरण प्रक्रिया एक संक्षिप्त लगान देयता

Scanned with CamScanner

के सम्बन्ध में कार्यवाही है। जिसमें पक्षकारों के अधिकार तय नही करवाये जा सकते है इस हेतु नियमित वाद ही उपचार है। इन्होने मेरे समक्ष 1994 आर.आर.डी. पृष्ठ संख्या 659 हैड नोट "B" पैरा 6 प्रस्तुत करते हुवे कहा कि अधिकारों के निर्धारण हेतु नियमत वाद ही प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसी प्रकार तथ्य 2014(2) आर.आर.टी. पृष्ठ 1255 किशनपालसिंह विरूद्ध बोर्ड ऑफ रेवेन्यु के निर्णय मे भी अंकित है। रेसपोडेन्ट के योग्य अभिभाषक श्री राजेन्द्र गहलोत ने अपनी बहस जारी रखते हुए कहा कि राजस्थान मण्डल राजस्थान अजमेर मे प्रस्तुत अपील 286/10 नगसिंह बनाम किर्तिभानू के मामले में आर. बी. रे. (18) 2011 पृष्ठ संख्या 559 पर छपे निर्णय विरूद्ध दिनांक 11–04–2011 में यह व्यवस्था दी गयी है कि जहां नियमित वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन हो। अपील का निर्णय वाद में अन्तिम निर्णय होने तक पेडिंग रखा जाना कानून की प्रतिपालना है। प्रस्तुत मामलें में सह दावा उसी जमीन को लेकर राजुसिंह बनाम भंवरसिंह आदि के रूप में विचाराधीन है। इस अपील को इस नजीर की रोशनी में देखा जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में आर.आर.डी. 2005 पृष्ठ संख्या 310 मुकुलचन्द बनाम देवकीनन्दन व अन्य का विधि दृष्यत भी पेंश किया गया। आपकी यह भी बहस है कि नामान्तकरण के 44 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत करने के इतने लम्बे समय बाद वारिसान की जॉच हेतु प्रारित प्रति पेश किया जाना न्यायोचित नही है। इस सम्बन्ध में 2019(2) आर.आर.टी. पृष्ठ 1555 प्रस्तुत किया। उन्होने कहा कि नामान्तकरण उतराधिकास्त के आधार तस्दीक किये जाने के मामलों में अन्य पक्षकारों को नोटिस देना आवश्यक नही है जैसा कि आर.आर.टी. 2002(1) पृष्ठ 567 पर उल्लेखित है। उन्होने 1992 आर.आर.डी. पृष्ठ संख्या 364 का आश्रय लेते हुवे कहा कि जहां उन्हे क्लीन हैड से न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने नही आता है, वहां उसे कोई राहत नही दी जा सकती है। इस बहस के आधार पर अपील अपीलाट्स खारिज करने का निवेदन किया गया।

6. इन तर्को के विरूद्ध अपीलार्थीगण के योग्य अभिभाषक श्री रामचन्द्रसिंह भाटी ने तर्क प्रस्तुत किया कि मियाद अधिनियम का फैसला अवश्य करे लेकिन यदि प्रकरण में गुणावगुण के विरूद्ध अन्तर्वित है तो केवल मियाद के बिन्दू पर अपील को निरस्त नही किया जाना चाहिए। इस कथन के समर्थन में 1998 आर.आर.डी. पृष्ठ संख्या 319 अरबन इम्पूर्वमेन्ट ट्रस्ट विरूद्ध पुनमचन्द की नजीर प्रसतुत की उन्होने 2018 डी.एन.जे. (एसी) 618 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया के विधि दृष्यान्त के हवाले से कहा कि प्रत्येक दिन स्पष्ट्रीकरण देने की आवश्यकता नही है। आपकी यही भी दलील है कि गलत आदेश के विरूद्ध कभी भी कार्यवाही की जा सकती है जिसमें मियाद अधिनियम की बाध्यता नही है जैसा की 1994 आर.आर.डी. पृष्ठ 604 पैरा 6 में प्रतिपारित किया गया है। उन्होने 2008 आर.आर.डी. पृष्ठ 804 पर छपे निर्णय राजस्थान औधोगिक राज्य खनिज विभाग निगम जोधपुर व अन्य विरूद्ध शिवराम और अन्य का आश्रय लेते हुवे कहा कि 32 वर्ष की देरी को माफ किया गया क्योकि मामलें में गुणावगुण का महत्वपूर्ण बिन्दू विवादित था। प्रस्तुत अपील में भूमि का अन्तरण रजिस्ट्रर्ड सैलडीड से हुआ था। इसलिए इस तथ्य को नजर अंदाज नही किया जाना चाहिये। यौग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने 1989 आर.आर. डी. पृष्ठ 173 सुप्रीम कोर्ट की नजीर पेंश करते हुवे कहा कि जहां सतोषप्रद कारण देरी के बताये गये है तो देरी को माफ किया जाना न्यायोचित माना गया है। उन्होने कहा कि जहा भूमिका अन्तरण पंजीकृत बयनामा से हुई है। वहा इन्तकाल तस्दीक करने से मनन नही किया जा सकता जब तक कि सेलडीड सक्षम सिविल न्यायालय में निरस्त नही करवायी जावें। जैसा कि 1994 आर.आर.डी. पृष्ठ 520 में प्रतिपादित किया गया है। पंजीकृत बयनामा होने के बाद इन्तकाल के अलावा कोई दुसरा विकल्प नही है। इस सम्बन्ध में 1994 आर.आर.डी. पृष्ठ संख्या 22 हैड नोट "A" पैरा 6 में लिया गया निर्णय महत्वपूर्ण है। इस सम्बन्ध में 2012(1) आर.आर.डी. पृष्ठ संख्या 374 पैरा 43 गोर तलब है ए.आई.आर. 1966 एससी 115 व 1979 आर.आर.डी. पेंज 1 में निर्णय किया गया है कि सेलडीड हो जाने कि साथ ही विक्रेता के अधिकार समाप्त हो जाते है। इस प्रकरण में पीरदानसिंह द्वारा अपने समस्त हिस्से के चार पंजीकृत विक्रय पक्षों के जरिये अपीलाण्ट्स के पक्ष में अन्तरण कर दिये गये। उन्होने समपति हस्तान्तरण अधिनियम 1954 एवं पंजीयक अधिनियम की धारा 47 के ताबे क्रेत्रा के पूर्ण अधिकार माने जाने के सम्बन्ध में 2010(2) आर.एल.डब्ल्यु. 1328 जिसमें 2005 आर.आर.डी. पृष्ठ 276 पैरा संख्या 11 को Refered तथा विधि दृष्यन्त पेश किया। उन्होने कहा कि इन न्याय निर्णयों में दी गयी व्यवस्था उनके मामलें मे भली भांति रूप से चस्पा होती है तथा इन निर्णयों की मौजुदगी में अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जानी चाहिये। वाद पत्र बाद में पेश किया कोई दस्तावेजे पेश नही। अपीलान्टान ने कोई वाद पेश नही किया। मैने विद्वान अभिभाषकगणों उभयपक्ष के तर्को पर गहनता से मनन किया तथा प्रस्तुत किये गये न्याय निर्णय जो की आदरपूर्वक पढ़ तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया है। सर्वप्रथम में इस अपील में प्रस्तुत की गई प्राथमिक कानूनी आपत्ति प्रार्थना पत्र मे उठायी गयी गयी मियाद के बिन्दू को निर्णित करना कानून की दृष्टि से आवश्यक समझता हू। यह अपील सरपंच ग्राम पंचायत भाणे का गांव की आज्ञा दिनांक 15–11–1974 कि विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 26–02–2013 को प्रस्तुत की गयी है जो करीब 39 वर्ष की अवधि के उपरान्त प्रस्तुत होनी पायी जाती है। हमने वकील अपीलांटान द्वारा प्रस्तुत दृष्टांन्त 2017(2) सीजे, आरआईजे उच्च न्यायालय पृष्ठ संख्या 715 में दिये गये मियाद बिन्दू पर विस्तृत निर्णय से सहमत है जिसमें निर्देशित किया गया है कि सामान्य रूप से मियाद का उप समन किया जाना चाहिये इसी सन्दर्भ में प्रस्तुत नजीर 2018(2) आर.आर.डी. पृष्ठ संख्या 1378 में माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया है कि सारवान न्याय हेतु मामलो गुवावगुण पर निर्णित करना चाहियें। 1987 एआईआर में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मियाद पर लिबरल एप्रोच अपनाने के निर्देश दिये है। 2008 (2) आर.आर.टी. 1183 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया है कि सिर्फ मियाद पर निर्णय करना उचित नही है। गुणावगुण पर भी निर्णय पारित करें। 2008 आर.आर. डी. पेंज नम्बर 804 में 32 साल की मियाद को माफ किया गया है। 2018 डीएनरे (एसी) पेंज नम्बर 456 में निर्देशित किया है कि प्रकरण की प्रकति के अनुसार देरी माफ की जा सकती है। देरी के लिए पक्षकार को दण्ड देना उचित नही है। 1999 आर.आर.डी. 1973 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सफिसिऐन्ट ब्याज के आधार पर मियाद को माफ किया है। इसके अलावा प्रस्तुत दृष्टान्त 1994 आर.आर.डी. पेज नम्बर 604, 1998 आर.आर. डी. पेज नम्बर 319 2018 डीएनजे (एससी) पेज नम्बर 618, 2018 आर.आर.टी. (2) पेज नम्बर 1544, 1999 आर. आर.डी. पेज नम्बर 302 में भी मियाद बिन्दू पर सिथिलता के लिए व गुणावगुण पर निर्णय पारित करने के लिए उच्चतर न्यायालयों द्वारा निर्देशित किये गये है। अतः उक्त नजीरात की दृष्टि में अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है तथा प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाते है। गुणावगुण के प्रश्न पर प्रस्तुत दस्तावैज

Scanned with CamScanner

बैयनामा अनुसार पीरदानसिंह ने अपने हिस्से की भूमि अपीलान्टान को जरिये पंजीकृत बैयनामा विक्रय कर दी है। तथा विक्रय पक्ष के आधार पर के आधार पर नामान्तकरण संख्या 125, 126, 127, 128 भरे जाकर स्वीकृत हो चकु है। इस सम्बन्ध में वकील अपीलान्टान द्वारा यह कथन कि धारा 63 टीनेक्सी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पीरदानसिंह द्वारा भूमि विक्रय करने के पश्चात् आराजी मुतनाजा में उनके अधिकार समाप्त हो जाने से उनके वारिशान के नाम विरासतान नामान्तरकरण गलत दर्ज किया गया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपने कथन के समर्थन में वकील अपीलान्टान द्वारा 979 आर.आर.डी. पेज संख्या 1 2002 आर.आर.डी. पेज संख्या 414, 1994 आर.आर.डी. पेज संख्या 520, 22 2012 पाट(I) आर.आर.टी. पेज नम्बर 238, 374, 2010(2) आर.आर.डब्ल्यु. (आरआईजे) पेज संख्या 1328, 2006 पार्ट आई.आर.आर.डब्ल्यु. आर.आई.जे. 265 प्रस्तुत की जिनके अनुसार सैलडीड को सिविल कोर्ट निरस्त नही करे तब तक वैलिड मानी जाती है। क्रेता के अधिकार समाप्त नही होते तथा सैलडीड मयूटेंशन के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहता। बैयनामा इन्तकाल किस आदेश से निरस्त हुवे, विक्रय पत्र सक्षम न्यायालय से निरस्त हो चुके है। ऐसा कोई तथ्य इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही हुवा है तथा वकील रेस्पोडेन्टान द्वार भी विक्रय पक्ष के निष्पादन के सम्बन्ध में कोई एतराज प्रस्तुत नही किया है और जिस वाद के जैरकार होने का कथन किया है वो धोषणात्मक ना होकर खाता विभाजन का है जिसमें अपीलार्थीगण पक्षकार नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्टान स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 187 ग्राम टोकला पंचायत भाणे का गांव निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार (भू.अ.) कोलायत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है। ग्राम टोकला के गत खसरा नम्बर 70, 73 कुल तादादी 426 बीघा में पीरदानसिंह द्वारा किये बैयनामा व नामान्तरण संख्या 125, 126, 127, 128 की जांच कर विधि सम्मत् नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनांक 08/04/2021 को मेरे द्वरा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) कोलायत को पालनार्थ प्रेषत है। निर्णय की पालना कर पालना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

(प्रदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत

Scanned with CamScanner